शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 12 – 19 जनवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

क्या सरकार अपने ही अन्त विरोधों से टूटने के कगार पर पहुंच गयी है?

शिमला/शैल। क्या हिमाचल सरकार अपने ही भार से टूटने के कगार पर पहुंच गयी है? क्या कांग्रेस हाईकमान इस संकट को सुलझा पायेगी? यह सवाल लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के गैर हिमाचली आई ए एस और आईपीएस अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर आये बयान के बाद उठी आम चर्चा के कारण सबकी चिन्ता और चिन्तन का विषय बन गये हैं। इन सवालों पर राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक परिदृश्य में नजर डालना आवश्यक हो जाता है। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उठाये गये सवाल पर सतारूढ़ कांग्रेस में ही जिस तरह का विभाजन पार्टी के मंत्रियों और विधायकों में सामने आया है वह अपने में ही कई गंभीर सवाल खड़े कर जाता है। क्योंकि यह सब उस समय ज्यादा मुखर हो गया जब मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का जिक्र आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी की। इस परिपेक्ष में यह आकलन करना आवश्यक हो जाता है की हालत इस मुकाम तक पहुंचे क्यों?

स्मरणीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ते हुये दस गारंटियां जारी की थी और चुनावों के दौरान ही पूर्व सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र सार्वजनिक रूप से जारी किया था। स्वभाविक रूप से यह दोनों विषय प्रदेश के हर आदमी से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे और इन्हीं के कारण प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो पहले ही दिन केवल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ही शपथ हुई। मंत्रिमंडल का विस्तार होने से एक घंटा पहले ही मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिला दी गई। उसके बाद जिस तरह से इन लोगों की तैनाती मंत्रियों के साथ की गई उस पर उस समय भी सवाल उठे थे जिन्हें व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर दबा दिया गया। उस दौरान आम आदमी को तो यह कहा गया की प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं लेकिन सरकार अपने खर्चो पर कोई नियंत्रण नहीं कर पायी। परिणाम स्वरुप सरकार को कर्ज के जाल में फंसना पड़ा जिसके कारण आज एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया है। बल्कि कर्ज के निवेश पर ही सवाल उठने की स्थिति आ गयी है। दूसरी ओर व्यवहारिक रूप से सरकार गारंटीयों पर ब्यानबाजी से आगे नहीं बढ़ पायी है।

मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार के हर फैसले को जायज ठहराते चले गये। इसमें उन्हें उन अधिकारियों पर अपनी निर्भरता बनानी पड़ी जिनके खिलाफ बतौर विपक्ष वह स्वयं आरोपित कर चुके थे। जो अधिकारी स्वयं सीबीआई के मामले झेल रहे थे वही मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार बन गये। हर मंत्री के विभाग को लेकर संबंधित मंत्री से पहले ही मुख्यमंत्री के बयान आने की संस्कृति बन गयी। इस कार्य संस्कृति के कारण अनचाहे ही यह संदेश चला गया कि विभाग में मंत्री से पहले मुख्यमंत्री है। अधिकारियों ने हर फैसले पर मंत्री परिषद की मोहर लगवाने की नीति अपना ली। इस सबसे यह हुआ कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री में कारगर संवादहीनता बढ़ती चली गयी। इसी संवादहीनता की शिकायतें हाईकमान तक भी पहुंची परन्तु दिल्ली में प्रदेश से एक भी लोकसभा और राज्यसभा सांसद न होने से दिल्ली की निर्भरता पर्यवेशकों पर बढ़ती चली गयी। इसी का परिणाम हुआ कि प्रदेश में एक वर्ष में ही संगठन शुन्य हो गया। सरकार के कार्यकाल में होने वाले पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव सरकार के लिये उसकी नीतियों के दर्पण का काम करते हैं। लेकिन अधिकारियों ने इन चुनावों को टालने की नीतियां अपनाना शुरू कर दी। मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद स्थिति न्यायालय से ही टकराव के मोड़ पर पहुंच गयी। प्रदेश में राज्यसभा सीट हारने और पार्टी के छः विधायकों द्वारा पार्टी बदलना भी मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली का ही परिणाम माना गया था। लेकिन हाईकमान इसका आकलन करने में असफल रही और यह संदेश चला गया कि हाईकमान पूरी तरह मुख्यमंत्री के साथ है।

आज स्थिति यह बन गयी है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगीयों में कारगर संवाद बहुत कम रह गया है। सरकार ने इस दौरान प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जितनी भी योजनाएं घोषित की हैं वह जमीन पर कोई शक्ल नहीं ले पायी हैं। बल्कि संसाधन जुटाने के लिये जितने उपाय किये गये हैं उनसे आम आदमी पर ही आर्थिक बोझ बढ़ा है। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता के पास प्रदेश के आम आदमी के पास जाने के लिए कुछ भी विशेष नहीं बचा है। जबकि अभी पंचायत

शेष पृष्ठ 8 पर.....

कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से हिमाचल बेहाल: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का कुनबा बिखरा हुआ है और सरकार में कर्मचारियों, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच तालमेल का भारी अभाव है, जो प्रदेश के हित में नहीं है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ही प्रदेश में हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं कहर बरपा रही हैं, लेकिन सरकार राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी खराब स्थिति में है, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि विकास का पहला पैमाना सरकार के भीतर आपसी समन्वय होता है। जब तक सरकार, अधिकारी और कर्मचारी एक दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक जमीनी स्तर पर विकास संभव नहीं है। आज हिमाचल में समन्वय की जगह तनाव अधिक दिखाई दे रहा है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सरकार के मंत्री ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। एक मंत्री सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करता है, दूसरा मंत्री उसका विरोध करता है, तीसरा समर्थन में आ जाता है और मुख्यमंत्री का ब्यान कुछ और ही होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बिखरी हुई स्थिति किसी भी सरकार में पहले कभी देखने को नहीं मिली।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मंत्रियों के बीच यह तनाव सरकार और कांग्रेस को और कमजोर नहीं कर रहा है? क्या इससे विकास कार्य और अधिक प्रभावित नहीं हो रहे? क्या इससे प्रदेश पर कर्ज का बोझ और नहीं बढ़ेगा? क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच यह खींचतान आगे भी जारी रहेगी?

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि कोई अधिकारी प्रदेश हित में काम नहीं कर रहा है, तो चाहे वह किसी भी राज्य का हो, उस पर निष्पक्ष कारवाई होनी चाहिए। प्रदेश हित सर्वोपरि होना चाहिए और उसी आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए।

पूर्व सैनिकों का अनुशासन और सेवाभाव समाज के लिए आदर्श: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पूर्व सैनिक

सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवाभाव समाज, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

राज्यपाल सुजानपुर में पूर्व सैनिक लीग सुजानपुर एवं सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा आयोजित सेना दिवस एवं वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 जनवरी भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की प्रहरी है तथा सैनिकों का बलिदान सदैव पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

राज्यपाल ने पूर्व सैनिक लीग और सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संगठन सैनिक मूल्यों को समाज से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के सम्मान को राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक बताया।

सैनिक कल्याण से जुड़ी पहलों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, रक्षा पेंशन सुधार और पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत सेना ही सुरक्षित भारत की आधारशिला है।

राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण से सशस्त्र बल सशक्त हुए हैं और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से सैनिकों के अनुशासित जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों की मार्च-पास्ट की सलामी ली और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'शाने हिमाचल' तथा 'शाने हिंद' पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने आईएएएस परिविक्षाधीन अधिकारियों से किया संवाद

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोक भवन में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (आईएएएस) के वर्ष 2025 बैच के परिविक्षाधीन अधिकारियों से संवाद किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लोक

सेवा, जवाबदेही और शासन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवा अधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन में दक्षता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

संवाद के दौरान परिविक्षाधीन अधिकारियों ने भी अपने अनुभव राज्यपाल के साथ साझा किए। इससे पूर्व अधिकारियों ने लोक भवन का भ्रमण कर इसके ऐतिहासिक महत्व, वास्तुकला धरोहर और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी के महानिदेशक एस.आलोक ने राज्यपाल को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सुशील कुमार ठाकुर, राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा तथा निदेशक पुष्पलता भी मौजूद थे।

राज्यपाल ने भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदान, साहस और संकल्प की सराहना की

शिमला/शैल। शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) में 78वां सेना दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की।

राज्यपाल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण रक्षा क्षेत्र में निरंतर नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। साइबर और सूचना युद्ध के दौर में आरट्रैक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि यहां दिया जा रहा नेतृत्व और व्यावसायिक प्रशिक्षण न केवल भारतीय सेना को सशक्त बनाता है, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों को भी मजबूत करता है।

उन्होंने कहा कि सेना दिवस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में भारतीय सेना के अतुलनीय बलिदान, अदम्य साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक है। राज्यपाल ने आरट्रैक को भारतीय सेना के प्रशिक्षण और संस्थागत उत्कृष्टता का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि भविष्य की जटिल युद्ध चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यहां दिया जा रहा तकनीक-सक्षम और बहुआयामी प्रशिक्षण सेना को हर समय तैयार बनाए रखता है।

हिमाचल प्रदेश और सशस्त्र बलों के बीच गहरे संबंधों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि वीरभूमि के रूप में भी जाना जाता है। राज्य का लगभग हर गांव सैन्य सेवा की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रत्येक

सैनिक के पीछे एक परिवार होता है, जिसका मौन बलिदान सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी ताकत है।

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है। यह बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है।

अग्निवीर योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से सशस्त्र बलों में युवा ऊर्जा का संचार हुआ है। इसके लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है, जिससे युवाओं में अनुशासन, कौशल और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित हो रही है।

राज्यपाल ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि स्वदेशीकरण भारत की रणनीतिक प्राथमिकता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के प्रभावी उपयोग को इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

पूर्व सैनिकों के कल्याण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 से लागू 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के संशोधनों से लाखों पूर्व सैनिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। साथ ही, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए 8,317 करोड़ रुपये के प्रावधान से देशभर में 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

इससे पहले, आरट्रैक के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने राज्यपाल का स्वागत किया और भारतीय सेना की तैयारियों एवं पेशेवर दक्षता पर प्रकाश डाला।

आरट्रैक के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. दहिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, सांसद सुरेश कश्यप, नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित अनेक नागरिक एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत भ्रमण से लौटे 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' ने मुख्यमंत्री से की भेंट

शिमला/शैल। भारत भ्रमण से लौटे 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' ने ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर

सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और अपने यात्रा अनुभव साझा किए। बच्चों ने इस भ्रमण को अविस्मरणीय बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से गोवा, क्रूज यात्रा, हवाई यात्रा और आगरा भ्रमण के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण बच्चों के ज्ञान, आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के सपनों को साकार करने की पहल है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन बच्चों का पालन-पोषण परिवार की तरह किया जा रहा है तथा उच्च शिक्षा सहित उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की यात्रा पर आधारित 'सपनों की उड़ान' पुस्तिका का विमोचन किया तथा भारत भ्रमण पर आधारित लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि 6 जनवरी, 2026 को शिमला से रवाना हुए इस भ्रमण में 52 बच्चों ने भाग लिया।

आईआईसीडीईएम-2026 में नन्दिता गुप्ता देंगी प्रस्तुति

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नन्दिता गुप्ता नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 23 जनवरी, 2026 तक आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईसीडीईएम)-2026 में भाग लेंगी। वह 'मतदाता की पहचान को आसान बनाने' विषय पर प्रस्तुति देंगी, जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधि भी सहभागी होंगे। यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आईआईआईडीईएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

नन्दिता गुप्ता ने कहा कि यह दायित्व भारत की निष्पक्ष चुनाव प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। तीन दिवसीय सम्मेलन में लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान तथा विभिन्न देशों के निर्वाचन अधिकारी भाग लेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 'व्यवस्था परिवर्तन' के तहत महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पिछले तीन वर्षों में शिशु लिंग अनुपात 947 से बढ़कर 964 हुआ है, जो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवारों में जन्मी बेटियों के लिए 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं तथा माता-पिता का 2-2 लाख रुपये का जीवन बीमा किया जाता है। यह राशि बेटी के 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच प्राप्त की जा सकती है।

कामकाजी महिलाओं के लिए सोलन, पालमपुर, बद्दी सहित विभिन्न क्षेत्रों में 13 नये महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 132 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को 'आंगनवाड़ी सह प्री-स्कूल' के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं 'सुख आश्रय योजना' के तहत अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं की देखभाल, शिक्षा और आजीविका की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है।

उन्होंने कहा कि ये पहलें समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

गद्दी समुदाय की आजीविका सुधारने को सरकार ने दी नई गति

'पहल' परियोजना से पशुपालकों के जीवन स्तर में होगा सुधार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की 'व्यवस्था परिवर्तन' सोच के तहत हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय और अन्य पशुपालकों की आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में घुमंतू गद्दी समुदाय के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य पशुपालकों को स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भेड़ और बकरी पालने वाले बड़ी संख्या में हैं और इस योजना से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत उन्नत भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए आधुनिक तकनीकों जैसे पशुधन का डिजिटल पंजीकरण, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे पशुपालकों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ेगी।

सरकार गद्दी भेड़, रामपुर बुशहरी भेड़ और चेगु बकरियों जैसी स्थानीय नस्लों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान देगी, ताकि उनकी अनुकूलता और गुणवत्ता बनी रहे।

पशुपालन उत्पादों जैसे ऊन, दूध,

मक्खन और मांस के बेहतर विपणन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। ऊन की गुणवत्ता जांच, बाजार से जोड़ने और उचित दाम दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही बीमा, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान भी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पशुपालकों और युवाओं को प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी सहायता के माध्यम से सशक्त किया जाएगा। इसके लिए 'भेड़-बकरी डिजिटल पहचान' वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिए कि गद्दी समुदाय के पारंपरिक चरागाह अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आगामी बजट में ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना पशुपालकों की आजीविका सुरक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने और हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का डेटा हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20

जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ा जाए। इस डेटा में प्राकृतिक खेती से जुड़े सभी विवरण शामिल होंगे और ब्लॉक स्तर पर इसकी मैपिंग भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा और किसानों को अधिक आय अर्जित करने के लिए इस पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस माह हमीरपुर में आयोजित सम्मेलन में वे सीधे प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से संवाद करेंगे।

उन्होंने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी के विपणन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके तहत गेहूं के आटे को 'हिम चक्की आटा', मक्की के आटे को 'हिम भोग मक्की', और कच्ची हल्दी को 'हिम हल्दी' ब्रांड के साथ बाजार में उतारा गया है। आटे की पैकिंग में एक्सपायरी डेट और पौष्टिकता से संबंधित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए विशेष इकाई गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 606.8 मीट्रिक टन मक्की और 2123 क्विंटल गेहूं प्राकृतिक खेती से खरीदी गई, जिनके लिए किसानों के खातों में कुल 3.62 करोड़ रुपये सीधे डाले गए। कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य रखा गया है, और इस वर्ष लगभग 1629 किसानों से 2422 क्विंटल हल्दी की प्राप्ति का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के 25 फार्मों में भी प्राकृतिक खेती के तहत विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती उत्पादों के बेहतर विपणन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव सी. पालरासु, निदेशक डीडीटीजी डा. निपुण जिंदल, निदेशक कृषि डा. रविन्द्र सिंह जसरोटिया, निदेशक बागवानी विनय सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व मंत्री ने एफआरए मामलों में तेजी लाने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम-2006 (एफआरए) के संबंध में जिला शिमला की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को एफआरए के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि मामलों का समयबद्ध निपटारा नहीं किया जाता है तो अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए अधिकारी कार्य में तेजी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एफआरए एक जनकल्याणकारी कानून है और इसका प्रभावी क्रियान्वयन हम सभी का दायित्व है। इस अवसर पर उन्होंने रोहड़ू, जुब्बल, चौपाल, शिमला ग्रामीण और कुपवी के उप-मंडल अधिकारियों से एफआरए मामलों की प्रगति की फीडबैक ली।

राजस्व मंत्री ने बताया कि जिला शिमला में अब तक ग्राम सभा स्तर पर सदस्यों और समुदायों से कुल 262 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समितियों द्वारा 196 मामले उप-मंडल स्तरीय समितियों को भेजे गए हैं, लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है कि अब तक एक भी मामला उप-मंडल स्तर से जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित नहीं किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को मार्च 2026 तक अधिकतर मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला शिमला में कुल 2,266 वन अधिकार समितियों का गठन किया जा चुका है। इनमें चौपाल में 277, डोडरा-क्वार में 9, जुब्बल में 129, कोटखाई में 215, कुपवी में 53, कुमारसेन में 154, रामपुर में 216, रोहड़ू में 170, शिमला ग्रामीण में 473, शिमला शहरी में 19, सुन्नी में 180 और ठियोग में 371 वन अधिकार समितियां गठित की गई हैं।

इससे पूर्व जनजातीय विकास के संयुक्त निदेशक कैलाश चौहान ने एफआरए-2006 के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 1 जनवरी 2008 से यह अधिनियम लागू किया गया। उन्होंने कहा कि एफआरए- 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के वे सदस्य या समुदाय, जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन भूमि पर निवास करते आ रहे हैं और अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन अथवा वन भूमि पर निर्भर हैं, उन्हें भूमि अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार, वन अधिकारी तथा अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

सीमावर्ती क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय एमओयू

शिमला/शैल। राज्य के सीमावर्ती एवं दूरदराज क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिये भारतीय सेना, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद, झांसी के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। यह एमओयू मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल किसानों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करेगी और पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण व संवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। इस समझौते के तहत आयुष विभाग तकनीकी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद किसानों से पूर्व-निर्धारित दरों पर फसल की खरीद सुनिश्चित करेगा। भारतीय सेना प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को प्रोत्साहित करने व सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, सचिव आयुष प्रियंका बासु इंगटी, लेफ्टिनेंट जनरल डी. जी. मिश्रा, ब्रिगेडियर अनुराग पांडे एंव वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनेगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगी। इस नीति का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और अन्य संवेदनशील वर्गों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि खाद्य पदार्थों की सटीक और समयबद्ध जांच हो सके। उन्होंने बताया कि पहले चरण में बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। दूसरे चरण में सभी जिलों में ऐसी लैब खोली जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूट्रिशनल सर्विलेंस को और मजबूत किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों की जांच, प्रोफाइलिंग और मैपिंग की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील में दिए जाने वाले खाद्यान्न की भी नियमित जांच होगी।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि जांच, जागरूकता और प्रशिक्षण के

लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जाए, ताकि सभी जिलों तक सेवाएं पहुंच सकें। साथ ही विभाग की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, खाद्य सैंपलिंग और जांच के लिए स्टेट पोर्टल और स्टेट न्यूट्रिशन डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषक तत्वों की कमी और कीटनाशकों के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू स्थापित किए जा रहे हैं और अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर-पेशेंट अनुपात सुनिश्चित किया जा रहा है।

बैठक में निदेशक डीडीटीजी डॉ. निपुण जिंदल, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन जितेंद्र सांजटा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने यूनेस्को एचपी फ्यूचर्स परियोजना की स्टियरिंग कमेटी बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यूनेस्को समर्थित एचपी फ्यूचर्स परियोजना की दूसरी स्टियरिंग कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परियोजना की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई और राज्य में जारी प्रमुख शिक्षा सुधारों पर चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि एचपी फ्यूचर्स परियोजना वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार और यूनेस्को के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठयक्रम रूपरेखा-2023 के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और प्रासंगिकता को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के तीन मुख्य स्तंभ-कॉम्पिटेंसी-बेस्ड एजुकेशन, खेल के माध्यम से शिक्षा और ग्रीनिंग एजुकेशन-राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप भविष्य आधारित शिक्षा प्रणाली को सशक्त बना रहे हैं।

बैठक में परियोजना की गतिविधियों, फील्ड कंसल्टेशन और आगामी चरण की प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा मंत्री ने यूनेस्को के तकनीकी सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी।

बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और यूनेस्को के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आत्म–सम्मान किसी भी प्रकार का विचार नहीं जानता।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

आर्थिक दबाव और राजनीतिक भरोसे की कसौटी पर हिमाचल

हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां शासन, वित्तीय प्रबंधन और राजनीतिक विश्वास से जुड़े प्रश्न लगातार सामने आ रहे हैं। हाल के समय में राज्य सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों ने सार्वजनिक विमर्श को तेज किया है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा केंद्र–प्रायोजित योजनाओं में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन सरकार की ओर से इन पर स्पष्ट, समयबद्ध और तथ्यात्मक प्रतिक्रिया न आना प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर प्रश्न उत्पन्न करता है।

वित्तीय दृष्टि से प्रदेश की आय संरचना का विश्लेषण कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। राज्य का कर राजस्व पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह वृद्धि सरकार की कर संग्रह क्षमता को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि राजस्व बढ़ोतरी का मुख्य आधार कराधान रहा है। इसके विपरीत, करेतर राजस्व–जो प्राकृतिक संसाधनों, सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त होता है–की वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दृष्टि से यह असंतुलन चिंता का विषय माना जा सकता है, क्योंकि दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता करेतर आय के सुदृढ़ होने पर अधिक निर्भर करती है।

राज्य के व्यय पैटर्न पर नजर डालें तो एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामने आती है। राजस्व व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि पूंजीगत व्यय में हाल के बजट में गिरावट दर्ज की गई है। पूंजीगत व्यय वह निवेश होता है जिससे सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अवसंरचना जैसी स्थायी परिसंपत्तियां सृजित होती हैं। इसका कम होना यह संकेत देता है कि अल्पकालिक खर्चों की तुलना में दीर्घकालिक विकास पर अपेक्षित जोर नहीं रह गया है। इस प्रवृत्ति का असर आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश वातावरण पर पड़ सकता है।

प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ चुनौतियां दिखाई देती हैं। कर्मचारियों के लंबित भुगतान, ठेकेदारों के बकाया, सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और कुछ योजनाओं के अस्थायी रूप से प्रभावित होने की सूचनाएं सामने आती रही हैं। इन परिस्थितियों के पीछे कई कारक हो सकते हैं–जैसे प्राकृतिक आपदाओं पर बढ़ा खर्च, पूर्ववर्ती दायित्व और सीमित संसाधन–लेकिन इनका समाधान पारदर्शी संवाद, समयबद्ध भुगतान और प्राथमिकताओं के स्पष्ट निर्धारण से ही संभव है।

इन आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियों का सीधा प्रभाव राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है। जब जनता को यह महसूस होता है कि करों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसी तरह, भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप यदि लंबे समय तक अनुत्तरित रहते हैं, तो वे शासन की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं, भले ही वे आरोप अंततः सिद्ध हों या न हों।

राजनीतिक परिदृश्य में यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि परंपरागत रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहा है। यदि सत्ता पक्ष अपने निर्णयों और नीतियों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखने में असफल रहता है और विपक्ष केवल आलोचना तक सीमित रह जाता है, तो राजनीतिक विमर्श में एक रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। यही वह स्थिति होती है जहां नए या तीसरे राजनीतिक विकल्प पर चर्चा शुरू होती है।

हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निर्णायक रूप से उभर रहा है। हिमाचल की राजनीति अब भी द्विदलीय ढांचे के भीतर संचालित होती है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बढ़ते आर्थिक दबाव, शासन की पारदर्शिता को लेकर प्रश्न और जनता की अपेक्षाओं में बदलाव, भविष्य में राजनीतिक विकल्पों के पुनर्संयोजन की संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। अंततः किसी भी नए राजनीतिक विकल्प का उभार केवल असंतोष से नहीं, बल्कि विश्वास और वैकल्पिक दृष्टि से होता है।

समावेशी राष्ट्रवाद के प्रखर पैरोकार डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी

गौतम चौधरी

वह दौर स्वतंत्र समर का था। ऐसे समय में डॉ. मुख़्तार अहमद अंसारी भारत के राष्ट्र–निर्माण में बेहद तसल्ली से लगे थे। उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए अपेक्षाकृत शांत लेकिन कहीं अधिक स्थायी योगदान देकर अलग पहचान कायम की है। उनका योगदान नैतिक साहस, समावेशी राष्ट्रवाद और शिक्षा– आधारित संस्थागत निर्माण में निहित था। पेशे से चिकित्सक, विश्वास से स्वतंत्रता सेनानी और स्वभाव से राष्ट्रवादी–डॉ. अंसारी उन नेताओं में थे जो मानते थे कि शिक्षित और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों के बिना भारत की आज़ादी अधूरी है।

डॉ. अंसारी को जानना हमारी पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। 1880 में ग़ाज़ीपुर के यूसुफ़पुर में जन्मे डॉ. अंसारी उस पीढ़ी के भारतीय मुसलमानों में से थे जिन्होंने अपनी धार्मिक पहचान और एक संयुक्त, स्वतंत्र भारत के प्रति प्रतिबद्धता के बीच कोई विरोध नहीं देखा। इंग्लैंड में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे विदेश में एक समृद्ध पेशेवर जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने औपनिवेशिक भारत लौटने का निर्णय लिया। ऐसे समय में जब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना निगरानी, आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक जोखिम का अर्थ रखता था। यह निर्णय ही उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी।

डॉ. अंसारी शीघ्र ही महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और अंग्रेज़ी संस्थाओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी विकल्पों के निर्माण का आहवान किया। उनके लिए राजनीतिक प्रतिरोध नैतिक अनुशासन से अलग नहीं था। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल विरोध से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, त्याग और नैतिक सार्वजनिक जीवन से अर्जित होती है।

डॉ. अंसारी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 1920 में स्थापित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका प्रमुख है। जामिया केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह राष्ट्रीय शिक्षा का एक साहसिक प्रयोग था, जो भारतीय मन पर औपनिवेशिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष विरोध में स्थापित किया गया था। हकीम अजमल ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और डॉ. ज़ाकिर हुसैन जैसे दूरदर्शी नेताओं के साथ मिलकर डॉ. अंसारी ने जामिया को एक ऐसी संस्था के रूप में आकार दिया जहां आधुनिक ज्ञान भारतीय मूल्यों, सामाजिक ज़िम्मेदारी और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हो। शुरुआती वर्षों में जब जामिया गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक संकटों से जूझ रही थी, तब कुलाधिपति (शैख़–उल–जामिया) के रूप में डॉ. अंसारी के नेतृत्व ने संस्था को जीवित रखा। उन्होंने संसाधन जुटाए, विश्वास पैदा किया और जामिया को राजनीतिक दबावों से बचाया। आज, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपनी अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध जामिया मिल्लिया इस्लामिया, डॉ. अंसारी की सबसे जीवित स्मारक के रूप में हमारे बीच उपस्थित है।

उनके सार्वजनिक जीवन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष (मद्रास अधिवेशन) के रूप में उनका कार्यकाल था। ऐसे समय में जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे थे और औपनिवेशिक नीतियां धार्मिक आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास कर रही थीं, डॉ. अंसारी ने हिंदू–मुस्लिम एकता को राजनीतिक ही नहीं, नैतिक अनिवार्यता के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया। उन्होंने अलगाववादी सोच को अस्वीकार किया और मुसलमानों को मात्र वोट बैंक या सौदेबाज़ी समूह में सीमित करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध चेतावनी दी। उनके अनुसार, मुसलमान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतिथि नहीं, बल्कि उसके समान भागीदार और शिल्पकार थे।

डॉ. अंसारी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के हितों की पैरवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक मंचों पर उनकी भागीदारी ने भारत को प्रतिस्पर्धी समुदायों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि स्वशासन का अधिकारी एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी चिकित्सकीय पृष्ठभूमि ने उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, जबकि उनकी राजनीतिक सक्रियता नैतिक संयम से युक्त थी। यह संयोजन उनके समय में भी दुर्लभ था।

आज के संदर्भ में डॉ. मुख़्तार अहमद अंसारी की प्रासंगिकता उनकी राजनीति और समकालीन सार्वजनिक जीवन के बीच के अंतर से और स्पष्ट होती है। वे प्रदर्शन से अधिक सेवा, व्यक्तियों से अधिक संस्थाओं और तात्कालिक तालियों से अधिक दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित में विश्वास रखते थे। उन्होंने पहचान को हथियार नहीं बनाया, उसे मानवीय बनाया। उनका इस्लाम नैतिक, समावेशी और भारतीय मिट्टी में गहराई से रचा–बसा था। इतना आत्मविश्वासी कि टकराव के बजाये सहयोग को चुना।

वर्ष 1936 में, भारत की स्वतंत्रता से एक दशक से भी पहले, डॉ. अंसारी का निधन हो गया। किंतु स्वतंत्रता के क्षण में उनकी अनुपस्थिति उनके योगदान को कम नहीं करती। उन्हीं जैसे नेताओं ने वह बौद्धिक और नैतिक आधार तैयार किया, जिस पर स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। डॉ. मुख़्तार अहमद अंसारी को स्मरण करते हुए यह बोध होता है कि सच्ची देशभक्ति हमेशा नारे नहीं लगाती। कभी–कभी वह सिखाती है, बनाती है, उपचार करती है और जोड़ती है। ऐसे समय में जब इतिहास को अक्सर सरल द्वैतों में समेट दिया जाता है, उनका जीवन एक सशक्त संदेश देता है, 'भारत की शक्ति हमेशा साझा भविष्य में विश्वास रखने वालों से आई है, न कि विभाजित कल की कल्पनाओं से।' यही कारण है कि डॉ. मुख़्तार अहमद साहब आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी सोच पर खड़ा समावेशी हिन्दुस्तान अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है।

रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता जाल: क्या अब बड़े सुधारों का समय आ गया है?

–पद्मश्री राम सरन वर्मा–

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। देश की बढ़ती खाद्य मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पिछले कई दशकों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर बढ़ाया गया है। शुरुआती दौर में इन उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद की, लेकिन आज इनके अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग के कारण कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है।

उर्वरकों की खपत के भयावह आंकड़े देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018 – 2019 में जहां 115 करोड़ बैग की खपत हुई थी, वहीं 2024 – 25 के दौरान यह आंकड़ा 150 करोड़ बैग को पार कर गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, जबकि उर्वरकों की खपत 150 करोड़ बैग से भी अधिक हो चुकी है। यह असंतुलन न केवल चिंताजनक है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे का संकेत भी है।

सेहत और मिट्टी पर दोहरी मार

रासायनिक उर्वरकों का असर अब हमारे थाल तक पहुंच चुका है।गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल और यहां तक कि दूध, दही और घी भी इनके रसायनों से अछूते नहीं रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में कैंसर, हृदय घात, एलर्जी और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के मामले दिन – प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

खेतों की स्थिति भी कम सोचनीय नहीं है। नियमानुसार, उर्वरकों का उपयोग केवल पौधों की जड़ों के पास होना चाहिए, लेकिन पूरे खेत में इनके छिड़काव से खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है। इस खरपतवार को खत्म करने के लिए फिर भारी मात्रा में खरपतवार – नाशक दवाओं का उपयोग होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती हैं। मिट्टी की खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए किसान और अधिक खाद डालता है, और यह दुष्चक्र हर साल मिट्टी को और अधिक बंजर बनाता जा रहा है।

अर्थव्यवस्था पर बोझ और कालाबाजारी

उर्वरक क्षेत्र में बढ़ता निवेश देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है। वर्तमान में देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपये (सब्सिडी सहित) के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है। विडंबना यह है कि हमारा उर्वरक उद्योग 80 प्रतिशत तक विदेशी कच्चे माल या आयातित उर्वरकों पर निर्भर है। कुल 3 लाख करोड़ रुपये में से 2.5 लाख करोड़ रुपये केवल आयात में खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार, एक ओर हमारी भूमि बंजर हो रही है, तो दूसरी ओर देश की बड़ी पूंजी विदेशों में जा रही है।

सरकार किसानों के कल्याण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की गई है। इसी सब्सिडी के कारण 40 रुपये प्रति किलो वाली यूरिया खाद किसानों को 6 रुपये प्रति किलो से भी कम दाम पर उपलब्ध है। स्थिति यह है कि यूरिया आज पशुओं के चारे से भी सस्ता हो गया है। सरकार 85 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है ताकि किसानों को यूरिया एक चाय के कप से भी कम कीमत पर मिले। लेकिन इसी कम कीमत का लाभ उठाकर बिचौलिए इसकी कालाबाजारी करते हैं और कृषि के बजाये इसका उपयोग प्लाईवुड कारखानों, कैटल फीड और मिलावटी दूध बनाने में कर रहे हैं।

सुधार की राह और समाधान

इस संकट से उबरने के लिए अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पहले खेतों से निकलने वाले अवशेषों का उपयोग जैविक खाद के रूप में होता था, जिससे मिट्टी का ''जैविककार्बन'' बना रहता था। आज इन अवशेषों को बेचने से किसानों को कुछ लाभ तो होता है, लेकिन वह रासायनिक उर्वरकों की वास्तविक लागत के मुकाबले बहुत कम है।

सरकार को चाहिए कि वह रासायनिक उर्वरकों के बैग का वजन कम कर उसकी जगह जैविक खाद के विकल्प उपलब्ध कराए। साथ ही, अत्यधिक उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी दल गठित किए जाने चाहिए।

धरती की सेहत सुधारने के लिए जरूरी सुझाव:

1. **हरी खाद का अधिक इस्तेमाल:** जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है, उसी तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हरी खाद अनिवार्य है।

2. **पौधों का विकास:** जैविक खाद के प्रयोग से पौधों की जड़ों को फैलने और गहराई तक जाने का पर्याप्त अवसर मिलता है।

3. **वैज्ञानिक फसल चक्र:** एक ही तरह की फसल बार – बार उगाने के बजाये फसल चक्र बदलें। जैसे दलहनी फसलें जमीन के गहरे स्तर से पोषक तत्व लेती हैं, जबकि गेहूं और धान ऊपरी सतह से।

4. **उन्नत सिंचाई तकनीक:** ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई) अपनाएं और खेती से पहले भूमि को समतल करें। इससे पानी की बचत होगी और उर्वरक सीधे पौधों पर कारगर तरीके से काम करेंगे।

5. **यूरिया का कुशल उपयोग:** यूरिया का छिड़काव शाम के समय अधिक प्रभावी होता है, जिससे कम खाद में बेहतर परिणाम मिलते हैं।

6. **पशुधन और जैविक संतुलन:** पशुपालन को बढ़ावा दें ताकि गोबर की खाद का उपयोग बढ़े। इससे उत्पादन क्षमता दीर्घकालिक बनी रहेगी और मिट्टी को भी विश्राम मिलेगा।

यदि हमने आज मिट्टी नहीं बचाई, तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। समय आ गया है कि हम रसायनों के इस मोह को छोड़कर प्रकृति की ओर लौटें।

आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है प्रदेश सरकार

शिमला। प्राकृतिक आपदाएं जब किसी परिवार से उसका आशियाना छीन लेती हैं, तो केवल दीवारें ही नहीं टूटतीं, बल्कि जीवन की स्थिरता भी डगमगा जाती है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की भारी बरसात ने अनेक परिवारों को इसी पीड़ा से गुजारा। ऐसे कठिन समय में प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के लिए न केवल राहतदाता बनी, बल्कि उनके पुनर्वास और पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी उम्मीद भी साबित हुई है।

मंडी जिला की तहसील कोटली के सुक्का कून गांव की सुनीता देवी उन सैकड़ों परिवारों में से एक हैं, जिनका घर पिछले बरसात के मौसम में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अचानक आई आपदा ने उन्हें परिवार सहित बेघर कर दिया और उन्हें रिश्तेदारों के यहां शरण लेनी पड़ी। सीमित संसाधनों के बीच दोबारा घर बनाना उनके लिए लगभग असंभव था। ऐसे समय में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज उनके लिए संबल बनकर सामने आया।

सुनीता देवी बताती हैं कि सरकार ने मकान निर्माण के लिए सात लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है, जिसमें से चार लाख रुपये की पहली किस्त उन्हें प्राप्त हो चुकी है। इस सहायता से उन्होंने अपने नए घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उनके अनुसार, यदि यह सरकारी मदद न मिलती, तो अपने आशियाने को दोबारा बसाने का सपना केवल सपना ही रह जाता। भावुक होते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार की इस सहायता ने उनके जीवन में फिर से उम्मीद जगा दी है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने आपदा मुआवजा राशि में 25 गुना तक की वृद्धि की है, जिससे प्रभावित परिवारों को वास्तविक और व्यावहारिक राहत मिल रही है। पहले पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी जाने वाली 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया है।

इतना ही नहीं, घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। इसके साथ ही, जिन परिवारों को अस्थायी रूप से किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है, उन्हें मासिक किराया सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। यह पहल राहत तक सीमित न होकर प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटाने का एक गंभीर प्रयास है।

मंडी जिला में इस विशेष राहत पैकेज का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार, वर्ष 2025 की बरसात से प्रभावित परिवारों के गृह निर्माण और मरम्मत के लिए अब तक 31 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें 717 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 19 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक तथा 1437 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की सहायता शामिल है।

प्रदेश सरकार का यह विशेष राहत पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनके टूटे आत्मविश्वास को फिर से संवारने का प्रयास है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि कठिन समय में सरकार अपने नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ने का विश्वास दिला रही है।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 257 नए लाभार्थी चिन्हित

जिला प्रशासन चंबा लगातार प्रयासरत है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चंबा ने 17 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई। इस अभियान के दौरान कुल 257 नए लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, जिनमें 200 लाभार्थी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से और 57 लाभार्थी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से संबंधित हैं।

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के निर्देशानुसार चलाये गये इस अभियान में जिले के विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया गया। इसके अंतर्गत आईसीडीएस परियोजना चुवाड़ी में 57, भरमौर में 8, मैहला में 12, तीसा में 23, पांगी में 37, सलूनी में 84 और चंबा में 36 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि चिन्हित लाभार्थियों की दस्तावेज संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें शीघ्र ही योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024 – 25 में जिला चंबा में कुल 1,61,35,430 रुपए खर्च किए गए, जिससे 522 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया गया। इस अवधि में 150 लाभार्थियों को त्योहारी भत्ता, वस्त्र और पोषण अनुदान तथा 30 व्यक्तियों को व्यवसायिक या उच्च शिक्षा के लिए अनुदान दिया गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2025 – 26 में अब तक 3,10,75,393 रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें 474 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है, 151 को त्योहारी भत्ता, 35 को शादी के लिए अनुदान और 57 को गृह निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की गई है।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, जो 3 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई थी, विधवाओं, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए मासिक 1,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। 18 से 27 वर्ष की आयु के विद्यार्थी जो सरकारी संस्थानों में डिग्री, डिप्लोमा या व्यवसायिक कोर्स कर रहे हैं, उन्हें पाठयक्रम शुल्क, ह स्टल और मैस का शुल्क अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी को सरकारी हॉस्टल नहीं मिलता है तो उसे मासिक 3,000 रूपये प्रदान किए जाते हैं। पात्रता के लिए परिवार की आय 1 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 0 – 27 वर्ष के अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है। विशेष स्थिति में सेमी – अनाथ बच्चों को बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर योजना में शामिल किया जा सकता है। योजना के तहत लाभार्थियों को मासिक 4,000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा राशि, विवाह के समय 2 लाख रूपये का विवाह अनुदान और गृह निर्माण के लिए 3 लाख रूपये की सहायता राशि चार किस्तों में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उच्च या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लाभार्थियों को वास्तविक खर्च के आधार पर सहायता दी जाती है।

बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को भी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत शामिल किया गया है। उन्हें 14 वर्ष तक मासिक 1,000 रूपये और 18 वर्ष तक 2,500 रूपये सामाजिक सुरक्षा राशि दी जाती है, साथ ही त्योहारी भत्ता के रूप में 500 रूपये भी प्रदान किया जाता है।

जिला प्रशासन चंबा का प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ समान रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचे और हर पात्र व्यक्ति योजना के दायरे में आये।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भेंट कर हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश की

वित्तीय स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहयोग का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को 16वें वित्त आयोग को सौंपे गए ज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी और राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने वित्त आयोग के अवार्ड काल में राज्यों के राजस्व और व्यय का यथार्थवादी आकलन किए जाने पर बल दिया।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से 'ग्रीन फंड' के गठन का सुझाव देते हुए इसमें प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य देश की हरित सीमाएं हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने होरिजेंटल डिवॉल्यूशन के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधित फार्मूले में वन एवं पारिस्थितिकी से जुड़े मानदंडों को अधिक महत्व देने की मांग भी रखी।

मुख्यमंत्री ने आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की तुलना अन्य क्षेत्रों से नहीं की जा सकती। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग डीआरआई और पृथक आवंटन का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान में आयी भारी कमी का उल्लेख करते हुए राज्य को जीएसडीपी का अतिरिक्त दो प्रतिशत उधार लेने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से की भेंट

पीक सीज़न में सेब आयात पर प्रतिबंध और शुल्क बढ़ाने की मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट कर सेब उत्पादन के

पीक सीज़न (जुलाई से नवम्बर) के दौरान सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की भी मांग की, ताकि विदेशी सेब के आयात से प्रदेश के बागवानों को नुकसान न हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.5 लाख किसान सेब उत्पादन से जुड़े हैं और राज्य के कुल फल उत्पादन में सेब का योगदान करीब 80 प्रतिशत है। सेब से प्रदेश को सालाना लगभग 4,500 करोड़ रुपये की आय होती है। उन्होंने बागवानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि हाल ही में बागवानों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं, जिन्हें उन्होंने केंद्र सरकार के सामने उठाया है। यह मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी रखा गया है और शीघ्र कारवाई का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सेब पर आयात शुल्क में कमी से हो रही हानि की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में सेब आयात में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है। मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें और बढ़ोतरी की आशंका है। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड से सेब आयात अप्रैल से अगस्त के बीच अधिक होता है, इस अवधि में आयात शुल्क 25 प्रतिशत है, जबकि अन्य महीनों में 50 प्रतिशत शुल्क लागू रहता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों से न केवल सेब सीज़न के दौरान बागवान प्रभावित होंगे, बल्कि कोल्ड स्टोरेज में रखे सेबों की कीमतों और ऑफ-सीज़न कारोबार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित रहे।

पीएम ई-बस योजना में पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट देने की मांग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने पीएम ई-बस

सेवा योजना में पहाड़ी राज्यों को विशेष छूट देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कठिन होता है, लेकिन योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियमों के चलते हिमाचल प्रदेश इस योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा है, जबकि राज्य सरकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हिमाचल से केवल शिमला शहर को शामिल किया गया है, क्योंकि योजना दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए जनसंख्या की शर्त में ढील दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से 1500 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रही है। इसके तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है।

उन्होंने यह भी मांग की कि ऑपरेशनल मॉडल में माइलेज सीमा को 150 किलोमीटर किया जाए और बस संचालन सहायता को 22 रुपये से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोमीटर किया जाए, ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम बिना नुकसान के ई-बसें चला सके।

मुख्यमंत्री ने एचपीपीसीएल के एकीकृत कार्यालय के लिए सुंदरनगर में उपलब्ध भूमि के हस्तांतरण हेतु बीबीएमबी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिलाने में सहयोग का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव राकेश कंवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रगतिशील बागवानों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि सेब उत्पादन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का प्रमुख आधार है और इसके संरक्षण व संवर्द्धन को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर आयात शुल्क घटाने से स्थानीय बागवानों के हित प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय को वह केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे तथा केंद्रीय वित्त एवं वाणिज्य मंत्रियों से भेंट कर बागवानों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह करेंगे।

असम के मुख्यमंत्री ने एसजेवीएन की 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम को स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी।

एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) की 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर असम के विद्युत मंत्री प्रशांत फुकन, एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता, एपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी, एसीएस (ऊर्जा), एपीडीसीएल के अध्यक्ष राकेश कुमार, एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा सहित राज्य सरकार और एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस मौके पर एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए आभार जताया। उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी सहित असम सरकार का सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और

यह 70 मेगावाट की सौर परियोजना असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई 330 एकड़ भूमि पर 28 वर्ष की लीज पर विकसित की गई है। यह परियोजना एपीडीसीएल द्वारा वर्ष 2023 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 3.92 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर एसजीईएल को प्रदान की गई थी। परियोजना की लागत लगभग 367.44 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना पहले वर्ष में लगभग 141 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगी और 25 वर्षों में कुल 3,230 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। इससे लगभग 1.58 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है।

यह असम की पहली बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है और साथ ही उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एसजेवीएन की पहली चालू परियोजना भी है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को वर्चुअल माध्यम से रखी थी।

हिमाचल में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए नई तकनीकों का पायलट प्रयोग

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए दो आधुनिक तकनीकों का पायलट प्रयोग शुरू किया गया है। इनमें सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकाडम (CGBM) और स्टेबलाइज्ड बेस लेयर तकनीक शामिल हैं। शुरुआत में इन तकनीकों का परीक्षण शोघी-मेहली सड़क पर किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग राज्य की लगभग 35,000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करता है। खराब मौसम और जलभराव के कारण करीब 20 प्रतिशत सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे रखरखाव की लागत बढ़ जाती है। नई तकनीकों के इस्तेमाल से सड़कें अधिक मजबूत, टिकाऊ और भारी यातायात के लिए सक्षम बनेंगी। यह उपाय सड़कों को पानी और अन्य प्राकृतिक नुकसान से भी बचाएगा और लगभग 10 साल तक बार-बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये तकनीकें पहले से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), अन्य सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2026-27 की वार्षिक रखरखाव योजना में उन सड़कों की पहचान की जाए, जहां इन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत अधिकारियों को सड़क की मजबूती, क्षमता और लागत में कमी पर नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रदेश में लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित सड़क नेटवर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पंजीकृत कामगारों को हिमकेयर योजना का लाभ देने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी कामगारों को हिमकेयर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र कामगारों के हिमकेयर कार्ड बनाए जाएं ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार समाज का अहम हिस्सा हैं और राज्य के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिए कि कामगारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर और सही तरीके से दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कामगारों का ई-केवाईसी हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के लिए वही सहायता राशि दी जाए, जितनी संबंधित सरकारी संस्थानों की फीस है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री सहारा योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा लगाए जाने वाले जागरूकता शिविरों में नशे के खिलाफ अभियान के तहत चिट्टा के दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 20.70 करोड़ रुपये, 2024-25 में 33.27 करोड़ रुपये और 2025-26 में अब तक 26.23 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में पेंशन योजना के तहत 1606 लाभार्थियों को 31.06 लाख रुपये की पेंशन दी गई है।

बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकृत कामगार के विवाह के लिए 51 हजार रुपये और उसके दो बच्चों के विवाह के लिए 51-51 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

बोर्ड के सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और वर्तमान में बोर्ड में 4,76,052 कामगार पंजीकृत हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव प्रियंका बासु इंगटी और आशीष सिंहमार, श्रम आयुक्त वीरेन्द्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कारवाई

राज्यभर में 433 कूरियर केंद्रों की जांच

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए राज्यव्यापी एंटी-चिट्टा जन आंदोलन 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' को और मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्यभर में एक विशेष जांच अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य कूरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना था।

हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस राज्यस्तरीय विशेष अभियान के तहत कूरियर कंपनियों के वेयरहाउस, गोदामों और वितरण केंद्रों की गहन जांच की गई। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 433 कूरियर सेवा प्रदाताओं की जांच की गई, जिनमें सोलन, किन्नौर, सिरमौर, बद्दी, मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, चंबा और ऊना शामिल हैं।

जांच के दौरान पार्सल बुकिंग, भंडारण, परिवहन और अंतिम डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की गई। कूरियर केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की पहचान, रिकॉर्ड संधारण और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। संदिग्ध पार्सलों की गहन जांच की गई तथा कर्मचारियों को एनडीपीएस एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि यह विशेष अभियान राज्य के सभी पुलिस रेंज में आपसी समन्वय के साथ एक साथ चलाया गया। जहां भी प्रक्रियागत कमियां पायी गईं, वहां संबंधित कूरियर सेवा प्रदाताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए और तय समय सीमा में सुधार सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।

उन्होंने कहा कि यह कारवाई कूरियर माध्यम से नशा तस्करी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी 112 या नजदीकी पुलिस थाना को दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

एक वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार, तीन वर्षों में हिमाचल बनेगा देश का अग्रणी राज्य: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जायका चरण-दो के तहत 1300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, आगामी तीन वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्वस्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री पीटरहाफ, शिमला में प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), खंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) और चिकित्सा अधीक्षकों (एमएस) के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में पहली बार इस स्तर पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सीधा संवाद आयोजित किया गया।

करीब साढ़े चार घंटे तक चले संवाद सत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कई निर्णय लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। सीएमओ, बीएमओ और एमएस को अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 236 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और 150 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि पर भी विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और 15 वर्ष पुराने उपकरण बदले जाएंगे। रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं भी प्रदेश में शुरू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुधारों के चलते एक वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव नजर आएंगे और तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को 'आंगनवाड़ी सह प्री-स्कूल' के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं 'सुख आश्रय योजना' के तहत अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं की देखभाल, शिक्षा और आजीविका की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है।

उन्होंने कहा कि ये पहलें समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में हिमाचल प्रदेश को 'टॉप परफॉर्मर' का सम्मान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान दर्ज कराई है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा आयोजित स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में हिमाचल प्रदेश को राज्य में प्रभावी और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 'टॉप परफॉर्मर' का दर्जा प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग में देश के 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया।

स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 के परिणाम 16 जनवरी, 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में घोषित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसी मंच से हिमाचल प्रदेश को 'टॉप परफॉर्मर' के सम्मान से नवाजा गया। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी, बद्दी के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान और संयुक्त निदेशक (उद्योग) दीपिका खत्री ने प्राप्त किया।

डीपीआईआईटी द्वारा हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान उद्योग विभाग द्वारा लागू की गई विभिन्न दूरदर्शी और प्रभावी पहलों के आधार पर दिया गया है। राज्य में पांच इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कर स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रत्येक इन्क्यूबेटर को 30 लाख रूपये की गैर-आवर्ती तथा 10 लाख रूपये की आवर्ती सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर स्टार्टअप पिचिंग सत्र आयोजित कर उद्यमियों को निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं।

औद्योगिक निवेश नीति-2019 के अंतर्गत स्टार्टअप्स को 10 लाख तक या पेटेंट लागत का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वहीं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2021 के माध्यम से सर्कुलर इकॉनॉमी और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पहलों के लिए डीपीआईआईटी ने हिमाचल प्रदेश को इंस्टीटयूशनल सपोर्ट पायनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पाथफाइंडर तथा मार्केट एक्सेस एंड रीच चैंपियन जैसी श्रेणियों में भी मान्यता दी है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मौजूदा और नए स्टार्टअप्स को नीति, वित्त और बुनियादी ढांचे के स्तर पर हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे उद्योग विभाग के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया और भविष्य में भी स्टार्टअप्स को संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है तथा युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत मंच के रूप में उभर रहा है।

सीबीसी मंडी द्वारा करसोग में केंद्र सरकार की योजनाओं पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), मंडी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा 17 जनवरी, 2026 को पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, करसोग (जिला मंडी) में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 'तीन नए आपराधिक कानून', 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'स्वच्छ भारत अभियान', 'शिक्षा का अधिकार' तथा 'आयुष्मान भारत योजना' सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री यदेश गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में की। उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार और आम जनता के बीच सूचना के सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाने तथा आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सुनील कुमार, प्रभारी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, मंडी ने बताया कि सीबीसी प्रदर्शनी, विशेषज्ञ व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से आमजन को केंद्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य, आईसीडीएस, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी सहभागिता की और अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत स्वच्छता शपथ कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं अतिथियों को केंद्रीय संचार ब्यूरो, मंडी की ओर से सम्मानित भी किया गया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

हमीरपुर में कैंसर केयर सेंटर, जियोथर्मल नीति और अन्य योजनाओं को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक जनहितकारी और विकासोन्मुखी निर्णय लिये गये।

मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इस केंद्र में 11 नए विभागों की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिससे लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रिमंडल ने राज्य में उपलब्ध भू-तापीय (जियोथर्मल) ऊर्जा संसाधनों की खोज और दोहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति दी। इसके क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी नामित किया गया तथा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में आवश्यक संशोधनों को भी मंजूरी प्रदान की गई।

अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में पेट्रोल एवं हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर 'ओरफन एंड विडो सेस' लगाने के लिये अध्यादेश लाने की स्वीकृति दी गई। यह सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगा।

बैठक में 25 मेगावाट तक की चार जल विद्युत परियोजनाओं - 6 मेगावाट खौली-2, 24 मेगावाट मलाणा-3, 21.9 मेगावाट मनालसू तथा 18 मेगावाट धनछो-की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सफल बोलीकर्ताओं को आवंटन की मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप लगभग 7.41 करोड़ रुपये की लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी। यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और पर्यटन को नया आयाम प्रदान करेगी।

सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन को मंजूरी देते हुए 66.66 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस जीडीओ/एमओ के लिए तथा 33.

33 प्रतिशत सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई। पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीटों के आपसी विनिमय का भी प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद, शिमला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में 11 पद, तथा राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में तहसीलदार के छः पद भरने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को निश्चित मानदेय पर पुनर्नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया।

लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के चार पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने तथा हमीरपुर जिला के भरेड़ी में वॉलीबॉल खेल छात्रावास के लिए चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स नीति में संशोधन करते हुए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की है। एससी/एसटी एवं अन्य पात्र श्रेणियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एम्स बिलासपुर परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई।

राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के ढली स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से प्रदेश सरकार के अधीन लेने तथा क्रेच वर्करों एवं हेल्परों की भर्ती के लिए एसओपी-सह-दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।

पोषण प्रोफाइलिंग और खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी (सोलन) में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा कंडाघाट स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46-सीटर विमान संचालन की अनुमति दी।

इसके अतिरिक्त, शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण तथा हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे राजस्व अधिकारियों एवं ग्राम अधिकारियों के कार्य संचालन को विनियमित किया जा सकेगा।

क्या सरकार अपने ही .....पृष्ठ 1 का शेष

चुनावों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने तीन वर्ष पूरा होने पर मण्डी में जो सम्मेलन किया था उसमें उप मुख्यमंत्री ने जिस भाषा और शैली में मुख्यमंत्री को अधिकारियों को लेकर चेताया था आज उसी स्वर में लोक निर्माण मंत्री ने उस चेतावनी को आगे बढ़ाया है। बल्कि इससे यह और स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री की आज राजनेताओं से ज्यादा अधिकारियों पर ही निर्भरता बन गयी है। क्योंकि उपमुख्यमंत्री से लेकर विक्रमादित्य तक सभी राजनेता अधिकारियों के नाम पर मुख्यमंत्री पर ही निशाना साधे हुये हैं। ऐसी स्थिति में यदि समय रहते हाईकमान स्थिति पर नियंत्रण न कर पाया तो सरकार का संकट में आना तय है।

वीरभूमि की रग-रग में है देशभक्ति:जयराम

शिमला/शैल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन करने के उद्देश्य से सुजानपुर

में सर्वकल्याणकारी संस्था द्वारा आयोजित सेना दिवस के भव्य कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भावुक और ओजस्वी संबोधन देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की रग-रग में देशभक्ति समाई हुई है और सीमाओं की रक्षा में राज्य का योगदान सदैव अग्रणी रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक भाषणों या परंपरागत रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि सैनिकों के प्रति समाज के हृदय में बसे सम्मान और कृतज्ञता के भाव ही इसकी वास्तविक पहचान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'भाषणों से अधिक महत्व उन भावनाओं का है, जो हम अपने सैनिकों के लिए मन में रखते हैं।' उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के प्रति जनता की श्रद्धा ही ऐसे आयोजनों की असली शोभा है।

हिमाचल प्रदेश के सैन्य इतिहास को स्मरण करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भले ही प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा हो, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा में इसका योगदान अत्यंत बड़ा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला और कारगिल युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक प्रदेश का हर गांव देशभक्ति की मिसाल प्रस्तुत करता आया है।

जयराम ठाकुर ने पिछले 25 वर्षों से इस आयोजन को निरंतर सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा और उनके पुत्र अभिषेक राणा की सराहना करते हुए इसे सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने उन तत्वों की भी आलोचना की जो इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति से जुड़े आयोजनों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और सेना के प्रति केवल दिखावटी सम्मान प्रकट करते हैं।

इस अवसर पर राजस्थान के मेवाड़ से पधारे महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का विशेष आभार व्यक्त करते हुए जयराम ठाकुर ने उनके विचारों की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की उपस्थिति को भी सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया। अंत में उन्होंने शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि देवभूमि के युवाओं में बसा राष्ट्रप्रेम ही देश का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।